UPGK010073042024

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः सिद्धार्थ सिंह (एच.जे.एस.) J.O. Code-UP6318

सिविल निगरानी संख्या-94/2024

1. संजय कुमार पुत्र राम कृष्ण उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-मु० हुमायूंपुर उत्तरी, पोस्ट-गोरखनाथ, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।

2. अवधेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी- मौजा मिर्जापुर पचपेड़वा, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर। **..... निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. अजय पुत्र राम अधारे उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- मौजा मिर्जापुर पचपेड़वा, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर। **.....विपक्षी**

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी निगरानीकर्तागण संजय कुमार एवं अवधेश कुमार की ओर से विद्वान न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं०-3 गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2024 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. निगरानीकर्तागण द्वारा सिविल निगरानी प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आदेश विचारण न्यायालय तथ्य विरूद्ध है एवं विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किये प्रश्नगत आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विचारण अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का बिना प्रयोग किये आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय का यह कथन कि कागज सं०-16क शपथपत्र से समर्थित नहीं है, जबकि शपथपत्र 17ग दाखिल किया गया था मगर विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय का यह कथन कि विशिष्ट प्राविधान आदेश 1 सी०पी०सी० में वर्णित है, को मा० उच्चतम न्यायालय के विधि व्यवस्थाओं के तहत यदि प्राविधान न भी लिखा जाय या गलत लिख दिया जाये, तो भी विचारण न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह दरख्वास्त की मंशा को देखते हुए आदेश पारित करे, मगर विचारण न्यायालय ने अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.05.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

3. निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी के समर्थन में विद्वान न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं०-3, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.05.2024 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

4. प्रस्तुत निगरानी दिनांक 03.08.2024 को प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी को नोटिस प्रेषित की गयी। विपक्षी को नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं आया। दिनांक 06.09.2025 को विपक्षी पर तामीला जरिये प्रकाशन पर्याप्त माना जा चुका है, बावजूद इसके विपक्षी न्यायालय उपस्थित नहीं आया और न ही उसके द्वारा बहस की गयी। विपक्षी के उपस्थित न आने के कारण दिनांक 04.11.2025 को पत्रावली में एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

5. दौरान बहस निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि निगरानीकर्तागण द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 मय शपथ पत्र दाखिल किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों का पता न लिखे जाने एवं शपथ पत्र दाखिल न किये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.04.2024 को निरस्त कर दिया गया जबकि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र 16क2 के समर्थन में शपथ पत्र कागज सं०-17ग दाखिल किया गया था। तत्पश्चात निगरानीकर्तागण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-114 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर परिशीलन करते हुए दिनांक 13.05.2024 को निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. निगरानी के स्तर निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता तो कारित नहीं की गयी है।

8. निगरानीकर्तागण द्वारा मुख्य रूप से अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया है कि पक्षकार बनाये जाने हेतु उन्होंने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र दाखिल किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों का पता न लिखे जाने एवं शपथ पत्र दाखिल न किये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.04.2024 को निरस्त कर दिया गया जबकि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र 16क2 के समर्थन में शपथ पत्र कागज सं०-17ग दाखिल किया गया था। तत्पश्चात निगरानीकर्तागण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-114 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

9. निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता को विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया कि प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का पता अंकित नहीं है और प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित नहीं है जब निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं०-20ग अन्तर्गत धारा-114 सिविल प्रक्रिया संहिता पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया वह भी विचारण न्यायालय द्वारा इस अंकन के साथ निरस्त किया गया कि पूर्व में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं०-16क/2 को निरस्त करने में कई कारण थे। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं०-16क/2 के समर्थन में शपथ पत्र कागज सं०-17ग

दाखिल किया गया है। जहां तक संशोधन प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का पता अंकित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को पक्षकारों का पता अंकित किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान करना चाहिए था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

10. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किये जाने का संबंध है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पारित की गयी है कि "मात्र संबंधित धारा का उल्लेख न किये जाने से तकनीकि आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए।" न्यायालय का यह कर्तव्य है कि पक्षकारों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष की याचना की गयी है वह स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं उसपर निष्कर्ष दे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं०-20ग जो कि दिनांक 13.05.2024 को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया उसमें उसके द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं लिखा गया है, जबकि उसे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय पक्षकारों द्वारा उठाए गये सभी तथ्यों को देखना चाहिए, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निगरानी न्यायालय इस मत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण संजय कुमार एवं अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी सं०-94/2024 स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं०-3 गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2024 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में दिये गये निष्कर्षों के आधार पर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करें। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित हो।

निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2026 को उपस्थित हों। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-08.04.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-08.04.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.04.09 17:05:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court